न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी– श्री जगदीश सिंह आशिया,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 108 / 2023

प्रार्थीगण	**बनाम** **विप्रार्थीगण**
1. टीकमाराम पुत्र चम्पाराम 2. शंकराराम पुत्र चम्पाराम 3. कानूदेवी पुत्री चम्पाराम 4. पारूदेवी पत्नि चम्पाराम जाति जाट निवासी राणेरी, कमठाई तहसील सिणधरी	1. मगनाराम पुत्र मोटाराम 2. बाबूराम पुत्र मगनाराम 3. मीठूराम पुत्र मगनाराम जाति जाट निवासी राणेरी, कमठाई तहसील सिणधरी 4. धनीदेवी पुत्री मगनाराम जाति जाट निवासी डण्डाली तहसील सिणधरी 5. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री पाबूराम बेनीवाल, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थी सं. 05 के पैरोकार सरकार उप0। शेष एकतरफा।

निर्णय

दिनांक– 12.11.2024

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि कि प्रार्थीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88.188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता पाने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 व 4 की पैतृक व पुश्तैनी कब्जा काश्त के खेत खसरा नम्बर 114 रकबा 1.8041 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 161 / 79 रकबा 3.7052 हैक्टेयर, खसरा [illegible] 2.2652 हैक्टेयर कुल रकबा 7.7745 हैक्टेयर मौजा नई राणेरी तथा खेत खसरा सं[illegible]58 [illegible]बा 1.7879 हैक्टेयर, खसरा संख्या 95 रकबा 4.6275 हैक्टेयर कुल [illegible] क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी जिला बाडमेर में स्थित है जो प्रार्थीगण [illegible] संख्या 1 से 3 के मुतवफी स्व. मोटाराम के नाम जागीरीकाल [illegible] की थी तथा उनके फौत होने पर उनके विधिक वारिस प्रार्थीगण के दादा विप्रार्थी सं[illegible] 1 मंगनाराम के कब्जे काश्त की खातेदारी हुई तथा वक्त सेटलमेन्ट (प्रथम जमाबन्दी) पर्चा लगान मंगनाराम के नाम जारी हुआ था तथा प्रार्थीगण के दादा विप्रार्थी संख्या 1 को पैतृक खातेदारी के रूप में अर्जित हुई। इस प्रकार वादग्रस्त समस्त भूमि प्रार्थीगण के दादा विप्रार्थी संख्या 1 को पैतृक सम्पति के रूप में अपने पिता स्व. मोटाराम से प्राप्त हुई थी जिससे प्रार्थीगण के जन्म के साथ ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:38:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

वादग्रस्त भूमि में हक हिस्सा निहित हो गया। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण के दादा विप्रार्थी संख्या 1 के साथ प्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के पोते / पोती व प्रार्थी संख्या 4 पुत्रवधू है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के विप्रार्थी संख्या 2 से 4 पुत्र/पुत्री है, इस प्रकार वादीगण अपने दादा के बराबर उनके जन्म के साथ ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुसार पैदा हो चुके है, जिससे प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 का वादग्रस्त भूमि का समान हक हिस्सा पैतृक खातेदारी का है जिस कारण प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/20, 1/20 हिस्सा जो संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा, विप्रार्थी संख्या 1 से 4 प्रत्येक का 1/20, 1/20 हिस्सा खातेदारी का है। तथा इसी अनुसार प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के मध्य भूमि का बाहामी बंटवाडा किया हुआ था तथा प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि पर रहवासी ढाणी बनाकर अपने परिवार सहित अलग निवास कर रहे है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 की सहदायिकी सम्पति है तथा प्रत्येक का बराबर हक हिस्सा है परन्तु राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण का नाम अंकित नहीं था तथा समस्त भूमि विप्रार्थी संख्या 1 के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, जिसका प्रार्थीगण के दादा विप्रार्थी संख्या 1 ने नाजायज फायदा उठाकर बेशकीमती भूमि को बैचान/ हस्तान्तरण कर किसी अजनबी क्रेता कब्जा करवाने पर आमादा है तथा प्रार्थीगण को कब्जा खाली करने हेतु कहा जिस पर प्रार्थीगण ने ऐसा करने का कारण पूछा तो विप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त भूमि को किसी अजनबी क्रेता के पक्ष में बैचान कर कब्जा करवाने का बताया। जिस पर प्रार्थीगण ने राजस्व रेकर्ड प्राप्त किया तो सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई, जिस पर प्रार्थीगण को यह वाद पेश करने की आवश्यकता पड़ी। प्रार्थीगण अपने प्रत्येक का 1/20–1/20 हिस्सा घोषित करवाने के विधिक अधिकारी है तथा विवादित भूमि पैतृक भूमि होने से एवं हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुरूप प्रार्थीगण विवादित भूमि में पैतृक हिस्से की घोषणा करवाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण को बलपूर्वक बेदखल करने पर आमादा है और अगर वह ऐसा करने में वह सफल हो गये तो न केवल प्रार्थीगण के दावे का उद्देश्य समाप्त होगा अपितु प्रार्थीगण को भारी अपूरणीय क्षति होगी। समस्त परिस्थितियों में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर विप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि विप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी खेत खसरा नम्बर 114 रकबा 1.8041 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 161/79 रकबा 3.7052 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 171/114 रकबा 2.2652 हैक्टेयर कुल रकबा 7. 7745 हैक्टेयर मौजा नई राणेरी तथा खेत खसरा संख्या 58 रकबा 1.7879 हैक्टेयर, खसरा संख्या 95 रकबा 4.6275 हैक्टेयर कुल रकबा 6.4154 हैक्टेयर मौजा राणेरी पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी में प्रार्थीगण के हिस्सा व कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न करें व न ही जबरन बेदखल करने का प्रयास किया जावें, न ही बेचान व हस्तातरण आदि करें, तथा मौके व राजस्व रेकर्ड की स्थिति यथावत रखें, इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी की जायें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:38:38 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण [illegible] रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी के नोटिस तामील [illegible] तरफ से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। तथा शेष विप्रार्थी सं. 1 से 4 को सुनवाई [illegible] पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं हाने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमनें प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया गया एवं तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि उक्त आराजी खेत खसरा नम्बर

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

114 रकबा 1.8041 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 161/79 रकबा 3. 7052 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 171/114 रकबा 2.2652 हैक्टेयर कुल रकबा 7. 7745 हैक्टेयर मौजा नई राणेरी तथा खेत खसरा संख्या 58 रकबा 1.7879 हैक्टेयर, खसरा संख्या 95 रकबा 4.6275 हैक्टेयर कुल रकबा 6.4154 हैक्टेयर मौजा राणेरी पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी की स्थित है जो प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के मुतवफी स्व. मोटाराम के नाम जागीरीकाल से कब्जे काश्त खातेदारी की थी तथा उनके फौत होने पर उनके विधिक वारिस प्रार्थीगण के दादा विप्रार्थी संख्या 1 मंगनाराम के कब्जे काश्त की खातेदारी हुई तथा वक्त सेटलमेन्ट (प्रथम जमाबन्दी) पर्चा लगान मंगनाराम के नाम जारी हुआ था तथा प्रार्थीगण के दादा विप्रार्थी संख्या 1 को पैतृक खातेदारी के रूप में अर्जित हुई। कि प्रार्थीगण के कथन अनुसार विवादित भूमि पक्षकारान के पैतृक पुश्तैनी होने के तथ्यानुसार कि जिसके अनुसार विवादित भूमि पक्षकारान के पूर्व पुरूष मोटाराम की थी। जंहा तक प्रार्थीगण की इस्तदुआ अनुसार वादग्रस्त भूमि पैतृक पुश्तैनी होने पर उनका हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत खातेदारी हिस्सा सामुहिक रूप से हिस्सा होने अथवा नहीं होने का निस्तारण मूल वाद के जरिये साक्ष्य/सबूतों के आधार पर पक्षकारान की सुनवाई उपरांत निर्णित किया जाना है,परन्तु प्रथम दृष्टया प्रार्थिगण द्वारा अपने अभिकथनों के अनुसार यदि दौराने विचारण वाद विवादित भूमि का और आगे से आगे बेचान या हस्तांतरण इत्यादि कर दिया जाता है तो पक्षकारान के मध्य विवाद बढने से इन्कार नहीं किया जा सकता है और प्रकरण को निस्तारण किये जाने में भी कानूनी पेचीदगिंया बढेगी। उपरोक्त परिस्थिति को मदद्देनजर रखते हुए विप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम निषेधाज्ञा के पावंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आंशिक स्वीकार योग्य है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विप्रार्थीगण को मूलवाद के ताफैसला तक जरियें स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है कि वे खेत खसरा नम्बर 114 रकबा 1. 8041 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 161/79 रकबा 3. 7052 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 171/114 रकबा 2.2652 हैक्टेयर कुल रकबा 7. 7745 हैक्टेयर मौजा नई राणेरी तथा खेत खसरा संख्या 58 रकबा 1.7879 हैक्टेयर, खसरा संख्या 95 रकबा 4.6275 हैक्टेयर कुल रकबा 6.4154 हैक्टेयर मौजा राणेरी पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी भूमि के संबंध में किसी प्रकार का हस्तान्तरण यथा बेचान इत्यादि नहीं कर राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

(जगदीशसिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 12.11.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:38:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी